ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की व्यवस्था

Dr. Sucheta Gupta

Lecturer, Department of Political Science, Government College Bibirani, (Alwar) Rajasthan, India

सारांश: 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार एवं घोषित किया। मानव अधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी प्रतिपादन किया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन अधिकार की स्वीकृक्ति ही विश्वशांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।

16 दिसम्बर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक साथ तीन घोषणाएं स्वीकार की गई। सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में घोषणा और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रोटोकॉल। 10 दिसम्बर, 1988 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के लिए अभियान की शुरूआत की इस अभियान का लक्ष्य था कि विश्व के प्रत्येक भाग में जनसम्पर्क और जनता में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्राओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया।
मुख्य शब्द : संयुक्त राष्ट्र संघ, महासभा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार परिषद।

I. प्रस्तावना

मानवाधिकार वर्तमान समय में मनुष्य के लिए अत्यावश्यक हैं मानवाधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है मानवाधिकारों की धारणा मानव की गरिमा की धारणा से जुड़ी है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। मैग्नाकार्टा (1215) वह पहला दस्तावेज है जो व्यक्तियों को कतिपय बुनियादी स्वतंत्रताए और संरक्षण प्रदान करता है। इसे मानवाधिकारों की बुनियाद रखने वाला दस्तावेज भी कहा जाता है।

फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सन्देश दिया था क्रान्ति के उपरान्त राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा की शुरूआत की। अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम दस संविधान संशोधनों द्वारा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. सयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की व्यवस्था के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।

II. अध्ययन पद्धति

अध्ययन पद्धति के रूप में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की व्यवस्था का अध्ययन करके इनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके।

ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं मानवाधिकार

शिशु के रूप में जन्म लेते ही मानवता तथा उसके अधिकारों का जन्म हो जाता है। स्वाभाविक अधिकार का यह सिद्धान्त अन्य प्राणियों के प्रति भी मानव हृदय में एक उदार भाव की कल्पना करता है। शायद आर्थिक परिस्थितियां ही, युग के इतिहास को रचने के लिए युग की घटनाओं को निश्चित करती हैं। आदिम युग में जीवनयापन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। दासता के युग में वैयक्तिक सम्पति की धारणा को बल मिला। मध्यकाल में सामान्य जनता अधिकारों की बात सोच भी नहीं सकती थी। वर्तमान युग में जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने लगी। जनता नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की मांग करने लगी। मानव जाति के इतिहास में 10 दिसम्बर, 1948 एक ऐतिहासिक दिन है इस ऐतिहासिक दिवस को सारा विश्व "मानवाधिकार दिवस" के रूप में मनाता है। मानवाधिकार संगठन तभी सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे जब उन्हें प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग मिले।'

सर्वप्रथम अमरीकन तत्कालीन राष्ट्रपति रूज्वेल्ट ने 16 जनवरी, 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में 'मानव अधिकार' शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने चार मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था। वाक् स्वातंत्र्य, 2. धर्म स्वातंत्र्य, 3. गरीबी से मुक्ति और 4. भय से स्वातंत्र्य, इन चारों स्वातंत्र्य से देश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा की, कि "स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्ही को है जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं" अटलांटिक चार्टर (1941) में पुनः मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्राओं का प्रयोग किया गया इसके पश्चात मानव अधिकारों का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया।

1945 में सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा की बात उठाई गई, इसमें कहा गया कि विश्व के सभी देशों के नागरिकों को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इन सब कोशिशों के फलस्वरूप अतंराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना एवं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था की स्थापना हुई। 1946 में एलोनोर रूज्वेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग गठित किया गया।

24 अक्टूबर, 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही महासभा ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें। इस घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच भाषाओं अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश में उपलब्ध है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। संयुक्त राष्ट संघ के सदस्यों देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के स्तर को ऊंचा किया जाए। सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्ययन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 30 अनुच्छेद

अनुच्छेद 1. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है और उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद 2. सभी लोगों के इस घोषणा में निहित स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का अधिकार है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष मे जन्म, सम्पत्ति या किसी आधार पर भेदभाव नही किया जाएगा।

अनुच्छेद 3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4. किसी को भी गुलामी या दासता की हालात में न रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध रहेगा।

अनुच्छेद 5. किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी तथा न ही किसी के साथ अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद 6. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर कानून की दृष्टि से व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद 7.कानून की दृष्टि से सभी समान हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

अनुच्छेद 8. सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरूद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की सहायता पाने का अधिकार है।
अनुच्छेद 9. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 10. सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार है कि उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।
अनुच्छेद 11. प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक उसे कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया गया हो तथा उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया हो।
अनुच्छेद 12. किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार तथा घर में कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा तथा ऐसे हस्तक्षेप के विरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 13.प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतंत्रपूर्वक आने जाने और बसने का अधिकार है।
अनुच्छेद 14. प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनीतिक लाभों से सम्बन्धित हैं या जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य है।
अनुच्छेद 15. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 16. बालिग स्त्री पुरूषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार की स्थापना करने का अधिकार है। परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 17. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्पत्ति रखने का अधिकार है तथा किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 18. प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है।
अनुच्छेद 19. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
अनुच्छेद 20. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था का सदस्य चनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हिस्सा लेने का अधिकार है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी तथा इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होगें और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराये जायेंगे।
अनुच्छेद 22. समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।
अनुच्छेद 23. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।
अनुच्छेद 24. प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।
अनुच्छेद 25.प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है।
अनुच्छेद 26. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि।
अनुच्छेद 27. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।
अनुच्छेद 28. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

अनुच्छेद 29. प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। इन अधिकरों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरूद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30. इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहां बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो। 16 दिसम्बर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक साथ तीन घोषणाएं स्वीकार की गई। सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा, नागरिक व राजनीतिक अधिकरों के सम्बन्ध में घोषणा और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1963 में सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव की समाप्त करने की घोषणा की गई। 20 नवम्बर, 1963 को महासभा ने कहा कि जाति, रंग या उत्पत्ति के आधार पर भेदभाव या शोषण मनुष्य की गरिमा के प्रतिकूल है और चार्टर तथा उसकी उत्तराधिकारी व्यवस्थाओं और घोषणाओं का खुला उल्लंघन भी और इसलिए यह राज्यों व नागरिकों के परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्धों में अवरोध है। 21 दिसम्बर, 1965 को दूसरी घोषणा स्वीकार की गई जिसमें बहुत से विचारों को संक्षिप्त कानूनी रूप दिया गया। इस घोषणा में रंगभेद व जातिभेद को अपने सभी स्वरूपों व प्रकारों में निन्दनीय माना गया और इस घोषणा की क्रियान्विति हेतु यंत्र भी तैयार किया गया।

1968 में तेहरान में, 13 मई, 1968 को तेहरान सम्मेलन का आयोजन हुआ इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई संकल्पों के माध्यम से अपना योगदान दिया जो कि क्षेत्र में काफी प्रकाश डालते हैं, मानवाधिकारों का विस्तार है हालांकि उनके अधिकारों

के कार्यान्वयन से संबंधित मसौदा प्रस्ताव दिन की रोशनी देखने के लिए संसाधित नहीं किया जा सकता है और उसे संयुक्त राष्ट्र में वापस जाना पड़ा। हालांकि 1968 में मानवाधिकारों के वर्ष का जश्न मनाने के लिए तेहरान सम्मेलन ने मानवाधिकारों के क्षेत्र को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण निर्णय दर्ज किया जिसमें उनके लगभग सभी अच्छे प्रस्ताव थे।

10 दिसम्बर, 1973 से 1983 के दशक को महासभा ने 'रंगभेद विरोधी दशक' के रूप में मनाया। 10 दिसम्बर, 1985 को खेलों में रंगभेद के विरोध में घोषणा हुई व खेलों में रंगभेद को ओलम्पिक नियमों के विरूद्ध बताया गया। 14 दिसम्बर, 1950 को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की नियुक्ति की घोषणा की गई। 14 अक्टूबर, 1967 को शरणार्थियो के अधिकारों से सम्बन्धित प्रोटोकॉल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है ग्यारह धाराओं वाली इस घोषणा में शरणार्थी संरक्षण से सम्बन्धित सामान्य व्यवस्थाएं हैं। महासभा की बैठकों में लगातार सभी तरह के शरणार्थियों की समस्याओं, उससे संबंधित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों और समस्या समाधान हेतु सम्भावित उपायों पर निरन्तर वार्तालाप होता रहता है। महिला कल्याण एवं बाल अधिकारों के सम्बन्ध में भी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयासरत रहा है जैसे महिला अधिकारों की घोषणा 1952, बाल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा 1959. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के शोषणों के विरूद्ध घोषणा 1979, मानवाधिकारों की वियना घोषणा 1993, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक सामाजिक परिषद्, संयुक्त राष्ट्र बाल कल्याण कोष व विश्व श्रम संघ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग और अन्य संस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। परिवर्तित सामाजिक परिदृश्य के साथ कुछ अत्यंत नए विषयों से संबंधित अधिकारों की मांग भी उठती रही है जैसे कि विकास का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार, मानवाधिकार शिक्षण का अधिकार आदि, विकास का अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है और व्यक्ति की अपेक्षा राज्यों का अधिकार अधिक है। ये अधिकार महासभा के विकास के अधिकार की घोषणा 1986 पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 मई, 1994 को विकास का प्रारूप प्रस्तुत किया गया जिसमें विकास के पांच आयामों को सम्मिलित किया गया शान्ति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण सरंक्षण, सामाजिक न्याय व प्रजातंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ व उसके सदस्य राज्य एक ऐसी सम्मिलित दृष्टि विकसित करना चाहते हैं। जो कि व्यक्ति पर केन्द्रित हो, समानता पर आधारित हो तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ हो। विकास के इस प्रारूप में महिला सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षात्मक व सुधारात्मक विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ में विकास से सम्बन्धित अधिक व्यवस्थित आधारभूत ढांचे के निर्माण, समूदायों के बीच विचार विमर्श, शोध कार्यों के विस्तार, पर्यावरण सरंक्षण सभी को शामिल किया गया है। पर्यावरण सरंक्षण की दिशा में 16 जून, 1971 की स्टॉक होम घोषणा और 28 अक्टूबर, 1982 की प्रकृक्ति से सम्बन्धित साधारण सभा के प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हैं। 1988 में सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ और गैर सरकारी संगठनों ने एक विश्वव्यापी अभियान चलाया इसी क्रम में 10 दिसम्बर, 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के लिए अभियान की शुरूआत की इस अभियान का लक्ष्य था कि विश्व के प्रत्येक भाग में जनसम्पर्क और जनता में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्राओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। मानवाधिकारों को प्रभावी करने के लिए 1 जनवरी, 1995 से शुरू होने वाले दशक को 'मानवाधिकार शिक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय दशक' के रूप में मनाने का निर्णय सयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था क्योंकि मानवाधिकार शिक्षण भी एक मानवाधिकार है।

ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों के संरक्षण की संस्थाएं

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में की गई थी। मानवाधिकार आयोग महासभा को मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, स्फिारिशें और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। इस आयोग में 53 देश इसके सदस्य होते थे इन देशों को तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता था। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। 2006 में मानवाधिकार आयोग का स्थान मानवाधिकार परिषद ने ले लिया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद विश्वभर में मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण को सशक्त बनाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों का समाधान करने तथा उन पर सिफारिशें करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का शीर्षस्थ निकाय है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को किया गया। इसमें 47 सदस्य राष्ट्र हैं और इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। यह परिषद मानवाधिकार के सभी मुद्दों एवं स्थितियों पर स्थायी रूप से काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य देश के लिए अपने यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा हेतु किये गये उपायों की जानकारी इस संस्था को दिया जाना आवश्यक है, यदि कांउसिल रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह स्वंतत्र जांच आयोग की स्थापना कर सकती है। 47 सदस्यीय इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है तथा इसका मख्यालय जेनेवा में है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त

20 दिसम्बर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्यायुक्त का गठन किया।"

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च्यायुक्त के मुख्य कार्य-

- सभी के द्वारा नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का उपयोग सुनिश्चित करना।
- मानवाधिकार केन्द्र को उसकी गतिविधियों में सहायता करना।
- मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केन्द्र

इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इस केन्द्र में मानवाधिकार उच्च्यायुक्त तथा पांच प्रकार के मानवाधिकारों हेतु पांच सहायक महासचिवों का कार्यालय है। इस केन्द्र का मुख्य कार्य मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा संबंधित जानकारियों को एकत्र करना है, ये सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं विश्व के समस्त नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना होगा ताकि अन्तिम व्यक्ति तक मानवाधिकारों की पहुंच सम्भव हो सके तथा सम्पूर्ण विश्व के नागरिक गरिमामय जीवन जी सकें।

III. निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयास शुरू हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया है। चार्टर के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र को मानव अधिकारों के सम्बन्ध में केवल प्रोत्साहन देने का ही अधिकार है कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा मानवाधिकार परिषद के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सामने सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकारों को लेकर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार परिषद के माध्यम से अधिक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु आपसी सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना होगा तथा मानवाधिकारों को लेकर लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि विश्व के किसी भी भाग में लोगों को मानवाधिकारों से वंचित नहीं होना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना होगा ताकि विश्व में किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन नहीं हो।

ISSN(Online): 2320-9801
ISSN (Print): 2320-9798

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) | Impact Factor: 1.422 |

Vol. 2, Issue 2, February 2014

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. 'निःसंग', रावत शिवराज सिंह, (इतिहास के आइने में मानवाधिकार), मानवाधिकार नई दिशाएं, एन एन्युअल जर्नल ऑफ एनएचआरसी, इन हिन्दी, पब्लिशड बॉय नेशलन ह्यूमन राईट्स कमीशन, न्यू देहली, वार्षिक अंक 3, 2006, पृष्ठ 139
2. यादव, डा डी एस, भारत में मानव अधिकार, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012, पृष्ठ 3
3. पूर्वोक्त, पृष्ठ 11
4. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
5. सिंह, नगेन्द्र, ह्यूमन राईट्स एण्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन, चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1969, पृष्ठ 6
6. फड़िया, डा बी एल, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 2011, पृष्ठ 326
7. वर्मा नम्रता, (मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में मानव अधिकार संस्थाओं की भूमिका), मानव अधिकार नई दिशाएं, रजत जयंती विशेषांक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, अंक 15, वर्ष 2014, पृष्ठ 138